साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : विद्युतभवन, बेली रोड, पटना-21

बिहार सरकार का उपक्रम

CIN No. U40109BR2012SGC018890

कार्यालय आदेश संख्या– 852 / दिनांक– 29/04/26 /

SB-IV/Alleg- BESA-40078/2025

श्री रंजीत कुमार सिंह (E07599), (तकनीकी कोटि–III), तदेन कनीय सारणी पुरूष, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, बौंसी, बांका के विरूद्ध जिलाधिकारी, बाँका के पत्रांक–352 दिनांक–19.02.2025 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या–425 दिनांक–06.03.2025 द्वारा श्री सिंह को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, लखीसराय निर्धारित किया गया एवं कार्यालय आदेश संख्या–949 दिनांक–04.06.2025 के द्वारा विहित प्रपत्र में निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

"श्री रंजीत कुमार सिंह, तदेन कनीय सारणी पुरूष, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, बौंसी द्वारा श्री हीरा दास ग्राम–बाबूडीह, थाना–बौंसी, जिला–बांका से छापेमारी उपरान्त प्राथमिकी दर्ज नहीं करने हेतु दूरभाष के माध्यम से रूपये 50,000/– रिश्वत की माँग की गई। आरोप के संदर्भ में की गई जाँच में प्रस्तुत बात–चीत के रिकार्ड में श्री रंजीत कुमार सिंह, कनीय सारणी पुरूष, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, बौंसी का ही आवाज पाया गया।

चूँकि श्री रंजीत कुमार सिंह भी ऊर्जा चोरी के विरूद्ध छापेमारी दल के सदस्य थे, जो इस बात को संपुष्ट करता है कि श्री सिंह द्वारा अनैतिक रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिये ऊर्जा चोरी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने का प्रबंध (Manage) करने का प्रयास किया गया। श्री सिंह का यह कृत्य भ्रष्टाचार के श्रेणी में आता है एवं उक्त कृत्य से कंपनी की छवि भी धूमिल होती है, तथा घोर कदाचार के दायरे में आता है।

श्री सिंह का उक्त कृत्य संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश के नियम का उल्लंघन किये जाने को दर्शाता है।"

उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री विनोद कुमार सिंह, सेवानिवृत विद्युत कार्यपालक अभियंता, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को जाँच पदाधिकारी तथा श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, प्रशाखा पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री सिंह द्वारा समर्पित आवेदन के सम्यक समीक्षोपरान्त इन्हें कार्यालय आदेश सं0–1330 दिनांक–31.07.2025 द्वारा निलंबन मुक्त करते हुए विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, मदार दरबाजा, सासाराम में पदस्थापित किया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर पत्रांक 46 दिनांक 07.10.2025 के माध्यम से जाँच–प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया।

जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान लिये गये गवाहों की गवाही में आरोपी श्री रंजीत कुमार सिंह, कनीय सारणी पुरूष की छापेमारी के पश्चात परिवादी श्री हीरादास से बातचीत किये जाने एवं वार्त्तालाप की Recording में आरोपी की आवाज होने की पुष्टि होने का वक्तव्य दिया गया है। आरोपी श्री सिंह उक्त छापेमारी के बाद उपभोक्ता से जुर्माने की राशि

जमा करने आदि के लिये वार्त्ता/फोन कॉल करने के लिये अधिकृत नहीं थे, यह उनकी गलत मंशा की पुष्टि करता है। परिवादी और आरोपी के बीच बातचीत का कॉल Recording से स्पष्ट हुआ कि परिवादी स्वयं को बैंक में होने की बात कर रहे हैं तथा आरोपी उनसे बार–बार आने के लिये कह रहे है। आरोपी ने भी स्वयं स्वीकार किया है कि छापेमारी के पश्चात् उनकी मुलाकात परिवादी श्री हीरादास से हुई थी। छापेमारी के बाद परिवादी से मुलाकात करना इनकी गलत मंशा की पुष्टि करता है। अपर समहर्त्ता (लो0शि0नि0), बाँका की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा जाँचोपरान्त समर्पित किये गये जाँच प्रतिवेदन में परिवादी श्री हीरादास द्वारा समर्पित कॉल Recording सुनने पर उसमें आरोपी की आवाज पाई गई एवं उक्त वार्त्तालाप में श्री सिंह के भ्रष्टाचार की मंशा परिलक्षित होने का उल्लेख किया गया है। साथ ही उक्त कृत्य में आरोपी के विरूद्ध FIR दर्ज नहीं किये जाने हेतु प्रबंध (Manage) करने के प्रयास संबंधी आरोपों की भी पुष्टि हुई है।

तदुपरान्त, जाँच पदाधिकारी के जाँच–प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध अभिलेखों एवं अन्य कागजातों के सम्यक समीक्षोपरान्त उपर्युक्त वर्णित कारणों से जाँच पदाधिकारी के जाँच–प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री सिंह से कार्यालय आदेश संख्या–109 दिनांक–13.01.2026 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया, जिसका जवाब इनके द्वारा दिनांक 13.01.2026 को समर्पित किया गया।

श्री सिंह के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहा गया है कि वे कनीय विद्युत अभियंता के निर्देश के आलोक में उपभोक्ता श्री हीरादास से बातचीत किये थे, लेकिन उक्त निदेश से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि आरोपी श्री सिंह शिकायतकर्त्ता उपभोक्ता से वार्त्ता के लिये प्राधिकृत नहीं होने के बावजूद उपभोक्ता से बार–बार बातचीत करना उनकी उक्त प्राथमिकी को प्रबंध (Manage) करने संबंधी गलत मंशा को दर्शाता है। विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में संलग्न CD उपलब्ध रहने पर ही विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, श्री सिंह द्वारा समर्पित जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया।

अतः श्री सिंह के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं जाँच पदाधिकारी के जाँच–प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा उन्हे निम्न दंड देने का निर्णय लिया गया है :–

1. निन्दन (घटना वर्ष 2024–2025)
2. निलंबन अवधि (दिनांक–06.03.2025 से 30.07.2025 तक) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इसकी गणना सेवान्त देय लाभों के लिये की जायेगी।

तद्नुसार, श्री रंजीत कुमार सिंह (E07599), तकनीकी कोटि–III, तदेन कनीय सारणी पुरूष, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, बौंसी, बांका को निम्न दंड प्रदान प्रदान किया जाता है :–

1. निन्दन (घटना वर्ष 2024–2025)
2. निलंबन अवधि (दिनांक–06.03.2025 से 30.07.2025 तक) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु इसकी गणना सेवान्त देय लाभों के लिये की जायेगी।

SB

साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : विद्युतभवन, बेली रोड, पटना-21।

बिहार सरकार का उपक्रम

CIN No. U40109BR2012SGC018890

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक हस्ताक्षरित प्रति श्री रंजीत कुमार सिंह, तकनीकी **कोटि–III**, तदेन कनीय सारणी पुरूष, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, बौंसी, बांका सम्प्रति विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, मदार दरवाजा, सासाराम को भेज दी जाय।

सक्षम प्राधिकार के आदेश से,

ह०/–

(शत्रुघ्न कुमार सुमन)

अवर सचिव

Speed Post ज्ञापांक ..../ दिनांक ..../

प्रतिलिपि:– श्री रंजीत कुमार सिंह, तकनीकी कोटि–III (कनीय सारणी पुरूष), विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, मदार दरवाजा, सासाराम पिन कोड–821115 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(शत्रुघ्न कुमार सुमन)

अवर सचिव

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के आप्त सचिव/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/ कम्पनी सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

(शत्रुघ्न कुमार सुमन)

अवर सचिव

ज्ञापांक ....150.......................... दिनांक ..29/04/26..

E-mail प्रतिलिपि : उपमहाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता, भागलपुर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, भागलपुर/उपमहाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता, गयाजी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, गयाजी/ विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, भागलपुर/सासाराम/मुंगेर/विद्युत कार्यपालक अभियंता/लेखा पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बांका/लखीसराय/सासाराम/अवर सचिव प्रशाखा–III/XI वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/डी० बी० ए०/लेखा पदाधिकारी (स्थापना/वेतन

शिवम्

साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21
Email ID- md.sbpdcl@gmail.com; Ph. No. 0612-2504045; Fax No. 0612-2504532.

पर्ची), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डी० बी० ए० से अनुरोध है कि प्रस्तुत संकल्प की प्रति साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

3. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सासाराम से अनुरोध है कि इस आदेश की प्रति श्री रंजीत कुमार सिंह, तकनीकी कोटि–III (कनीय सारणी पुरूष), विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, मदार दरवाजा, सासाराम को हस्तगत करवाते हुए इसकी पावती अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

२१/५/२६

(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव